पुलिस आदेश सं0 210 /88

बिहार आरक्षी परोपकारी कोष

उद्देश्य एवं नाम :-

आरक्षी विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को ऐसे स्थानों पर भी कार्य करना पड़ता है जहां की आबो-हवा स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं है और बराबर कार्य में व्यस्त रहने से भी उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है । कार्य की अधिकता, परेशानी तथा अन्य कारणों से असामयिक में ही मृत्यु भी हो जाती है । मृत्यु पश्चात् सरकार द्वारा आश्रितों को जो पेंशन आदि देय होता है वह परिवार को चलाने के लिये कम पड़ता है और परिवार के सदस्यों को बराबर आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । इस आर्थिक कठिनाईयों से बचाव हेतु एक फंड की स्थापना की गई है जो बिहार आरक्षी परोपकारी फंड (Bihar Police Benevolent Fund) कहलायेगा । इस फंड का लाभ आरक्षी से लेकर आरक्षी निरीक्षक कोटि तक के सभी आरक्षी कर्मियों को होगा । इसके अतिरिक्त आरक्षी विभाग से सम्बद्ध उन सभी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को, जो इस योजना के सदस्य बनेंगे, यह लाभ मिलेगा । लाभ के प्रकार और उसकी सीमा आवश्यकतानुसार प्रशासी समिति के निर्णय पर निर्भर करेगी ।

आय का स्त्रोत :-

आरक्षी विभाग के आरक्षी कोटि से आरक्षी निरीक्षक कोटि के सभी कर्मियों से 10/-रुपये प्रतिमाह चन्दा के रूप में लिया जायगा जिससे कुल राशि प्रतिमाह 7 लाख 50 हजार रुपये एवं वर्ष में 90 लाख रुपये के लगभग होगी । यह राशि उनके वेतन से प्रत्येक माह वेतन विवरणी के समय काटी जायगी जिसमें स्वेच्छा का प्रश्न नहीं रहेगा । चन्दे के रूप में काटी गई राशि विवरणी के साथ महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय को प्रत्येक माह को 10 तारीख तक अवश्य भेज दी जायगी । हर जिला/इकाई में मुख्यालय द्वारा मुद्रित और आपूर्ति किये गये प्रपत्र में प्रत्येक कर्मचारी के लिए अलग-अलग पास-बुक खोली जायगी जिसमें कम फंड के लिए कटौती की गई राशि अंकित की जायगी । महानिदेशक कार्यालय द्वारा प्राप्त राशि समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में इस फंड के लिए खोले गये अलग खाते में जमा की जायगी । आवश्यकतानुसार खाते की संख्या और प्रकार में परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

नियंत्रण :-

इस कोष के अध्यक्ष महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार होंगे । आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण) इस फंड के अवैतनिक सचिव होंगे और महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक को सहायता प्रदान करेंगे । अवैतनिक सचिव के हस्ताक्षर से ही राशि की निकासी वगैरह की जायगी । उस कार्यालय द्वारा जहां

चन्दे की कटौती की गई है, ड्राफ्ट द्वारा रूपया अवैतनिक सचिव, बिहार पुलिस परोपकारी फंड ॥ Hony Secretary, Bihar Police Benevolent Fund को भेजेंगे ।

प्रशासी समिति :-

इस फंड की प्रशासी समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1- महानिरीक्षक एवं आरक्षी महानिरीक्षक - अध्यक्ष
2- आरक्षी महानिरीक्षक ॥कार्मिक॥ -
3- आरक्षी महानिरीक्षक, अपराध शाखा -
4- आरक्षी महानिरीक्षक, विशेष शाखा -
5- आरक्षी उप-महानिरीक्षक ॥प्रशासन॥ -
6- आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक ॥कल्याण॥ - अवैतनिक सचिव

प्रशासी समिति आवश्यकतानुसार परोपकारी निधि के नियमों के संशोधन एवं परिवर्तन के लिए सक्षम होगी ।

सहायता :-

1-आरक्षी विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा-काल में होगी, के मनोनीत आश्रित को 500/-रूपये प्रतिमाह दर से अनुदान स्वीकृत किया जायगा जिसका भुगतान 20 वर्षों तक किया जायगा । 500/-॥पांच सौ॥ रूपये प्रति सौ की दर से अनुदान की राशि वर्ष में एक बार देय 6,000/-॥छः हजार॥ रूपये एक मुश्त देय होगी ।

2-कार्य से अशक्त ॥ Invalid ॥ घोषित होने पर एक मुश्त 10,000/-रू अनुदान की स्वीकृति दी जायेगी ।

सहायता पर रोक :-

1-अगर कोई कर्मचारी इस फंड की सदस्यता की तिथि के तीन॥3॥ वर्ष के अन्दर आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को सहायता राशि की स्वीकृति नहीं दी जायगी ।

2-सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् उसकी पत्नी या पति दूसरी शादी कर लेते हैं तो सहायता देय नहीं होगी ।

3-सेवा-निवृत्ति/सेवा-मुक्ति के पश्चात् मूल राशि उस समय वैध बचत जमा के निर्धारित साधारण सूद के साथ वापस कर दी जायगी ।

आश्रित की परिभाषा :-

निम्नांकित व्यक्ति ही इस फंड के लाभ के लिये आश्रित समझे जायेंगे :-

1- विवाहिता पत्नी
2- महिला कर्मचारी के लिये उसका पति
3- पुत्र, अविवाहित पुत्री ॥सौतेले के साथ॥

उपर्युक्त परिवार के नहीं रहने पर :-

4- माता-पिता या विधवा पतोहू

यदि उपरोक्त श्रेणी के आश्रित नहीं हैं तो मनोनयन नहीं किया जा सकता

मनोनयन :-

प्रत्येक कर्मचारी को आश्रितों के सम्बन्ध में एक मनोनयन पत्र देना अनिवार्य है जिसके आधार पर कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् मनोनीत आश्रित को अनुदान की राशि का भुगतान किया जायगा । आश्रितों में जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है उनमें किसी एक को या एक से अधिक व्यक्तियों को भी प्राथमिकता के आधार पर मनोनीत किया जा सकता है । प्रथम मनोनीत आश्रित की मृत्यु के पश्चात् दूसरे मनोनीत आश्रित को अनुदान की राशि देय होगी । मनोनयन प्रपत्र नमूना संलग्न है । सरकारी कर्मचारी अगर चाहे तो मनोनयन सुविधानुसार संशोधित कर सकता है । सभी प्राप्त मनोनयन पत्रों को एक संचिका में सूची बनाकर सुरक्षित रखा जायगा । यह संचिका प्रत्येक जिला/वाहिनी के लिए अलग-अलग होगी ।

बैठक :-

समिति की बैठक प्रत्येक दो माह के अन्दर होगी जिसमें प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा ।

मृत्यु की सूचना :-

प्रत्येक कार्यालय प्रधान अपनी-अपनी वाहिनी/जिला या कार्यालय के सेवारत कर्मचारी की मृत्यु पश्चात् उनकी मृत्यु के कारणों का उल्लेख करते हुए तुरत एक प्रतिवेदन आश्रित से प्राप्त आवेदन के साथ आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) को अनुदान की स्वीकृति हेतु भेजेंगे । इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं किया जायगा ।

मानदेय :-

इस फंड के लिये कार्यरत कर्मचारियों को मानदेय की स्वीकृति समिति द्वारा की जायगी ।

बिहार पुलिस परोपकारी फंड के लिये नामांकन

मैं, _____ यह घोषित करता हूँ कि अकस्मात् मृत्यु पश्चात् निम्नांकित नामांकित व्यक्ति प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार द्वारा स्वीकृत राशि पाने के हकदार होंगे :-

नाम एवं पता	सरकारी कर्मचारी से संबंध	जन्म-तिथि
1-		
2-		
3-		
4-		
5-		

नामांकन जहां समाप्त होगा उसके बाद वाले जगह को काट दिया जायगा जिसमें उसमें किसी तरह नाम बढ़ाया नहीं जा सके ।

दिनांक______________/19

स्थान________________

कर्मचारी का हस्ताक्षर
पद
जिला/वाहिनी
कार्यालय

1- गवाह का हस्ताक्षर
पद :-
तिथि:-
स्थान :-

2- गवाह का हस्ताक्षर
पद :-
तिथि :-
स्थान :-

इस योजना के साथ ही यह योजना बनाई गई है कि उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत वितरित राशि के बाद जो राशि बच जायगी उसे अधिक ब्याज योजना के अन्तर्गत जमा किया जायगा और 3 वर्षों के बाद उससे जो ब्याज मिलेगा उससे पुलि कर्मियों के लिए बना बनाया आवास खरीदा जायगा अथवा आवास का निर्माण क जायगा । इन आवासों को पुलिसकर्मियों को रहने के लिए किराये पर आवंटित कि जायगा । हर स्तर के पुलिसकर्मियों को बिना किराये के आवास का प्रावधान है । अत: जिन कर्मचारियों को यह आवास आवंटित होगा उन्हें सरकार से मिलने वाली किराये भत्ते की राशि इस योजना फंड में जमा करना अनिवार्य होगा । इस कोष जमा राशि से समिति की अनुशंसा के बाद आरक्षी कर्मचारियों के लिए अन्य कल्याण कारी कार्य पर भी खर्च किया जा सकेगा ।

कार्यान्वयन तिथि :-

यह योजना दिनांक 15-8-88 से लागू समझी जायेगी ।

विविध :-

इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में उठने वाले हर विवाद में अंतिम नि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का होगा जो सहायक महानिरीक्षक (कल्याण) हस्ताक्षर से सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित कर दिया जायगा । इस फंड के कार्यान्व के लिए किसी की भी सेवायें उचित मानदेय पर महानिदेशक के आदेश पर उपयोग की जा सकती है ।

ह०/-
8/8/88

(ज० मो० कुरेशी)
महानिदेशक एवं आ०म०नि०, बिहार, पटना

ह०/ग०30

ज्ञापांक - 5 69 / पी2
38-367/88

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ,

पटना, दिनांक 12 सितम्बर, 1988 ।

प्रतिलिपि अग्रसारित :-

1-सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक (रेलवे/अप0अनु0वि0/विशेष शाखा सहित)

2-आरक्षी महानिरीक्षक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना

3-सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक (रेलवे/अप0अनु0वि0/विशेष शाखा सहित)

4-सभी क्षेत्रीय उ0म0नि0, सैन्य पुलिस

5-सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे/अप0अनु0विभाग/विशेष शाखा सहित)

6-सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस (अश्वारोही सैन्य पुलिस सहित)

7-आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (वितन्तु)

8-प्राचार्य, पी0टी0सी0, हजारीबाग

9-प्राचार्य, सी0टी0एस0, नाथनगर

10-प्राचार्य, सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, पदमा

11-आरक्षी उपाधीक्षक, एच0क्यू0आर0टी0, पटना

12-वित्त प्रशाखा/लेखा प्रशाखा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सरकार द्वारा स्वीकृत "पौष्टिक आहार भत्ता" से 10/-रुपया प्रतिमाह चन्दा के रूप में बिहार आरक्षी परोपकारी फण्ड के लिए काट ली जाय तथा काटी गयी राशि को विवरणी के साथ बैंक ड्राफ्ट द्वारा अवैतनिक सचिव, बिहार आरक्षी परोपकारी फण्ड को प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अवश्य भेज देंगे ।

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना ।